

## ॥ कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर ॥

### //नीलामी विज्ञप्ति//

रायपुर रेंज पुलिस विभाग की निष्प्रयोज्य वाहनों, जहां है एवं जिस हालत में है, खुली बोली की प्रक्रिया के तहत नीलाम किया जाना है, नीलामी रक्षित केन्द्र, रायपुर (छत्तीसगढ़) की एम.टी. शाखा में दिनांक 04.02.2019 को सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक रखी गयी है। इच्छुक क्रेता वाहन के लिए रुपये 5,000/- (पाँच हजार रुपये) का बैंक ड्राफ्ट पुलिस अधीक्षक, रायपुर के नाम से जमा करने उपरांत ही नीलामी प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। वाहनों को नीलामी तिथि के 10 दिवस पूर्व से कार्यालयीन समय में पुलिस लाईन, रायपुर (छत्तीसगढ़) में जाकर देखा जा सकता है। नीलामी की अन्य शर्तें पुलिस लाईन रायपुर के नोटिस बोर्ड पर देखी व प्राप्त की जा सकती हैं।

### नीलाम किये जाने वाले वाहनों की सूची

स.क्र.	वाहन क्रमांक	वाहन का प्रकार	मॉडल
1	CG-03 2691	टाटा 52 सीटर बस	2004
2	CG-03 4685	टाटा सूमो विक्टा	2013
3	CG-03 5149	टाटा सूमो गोल्ड	2014
4	CG-03 4909	टाटा सूमो गोल्ड	2013
5	CG-03 4910	टाटा सूमो गोल्ड	2013
6	CG-03 4676	टाटा सूमो विक्टा	2013
7	CG-03 4758	टाटा सूमो विक्टा	2013
8	CG-03 4753	टाटा सूमो गोल्ड (विक्टा)	2013
9	CG-03 4569	टाटा सूमो विक्टा	2012
10	CG-03 3309	टाटा सूमो विक्टा (सीएक्स)	2009
11	CG-03 3483	टाटा सूमो विक्टा	2009
12	CG-03 4687	टाटा सूमो विक्टा (सीएक्स)	2013
13	CG-30 4682	टाटा सूमो विक्टा	2013
14	CG-03 4836	टाटा सूमो गोल्ड	2013
15	CG-03 4756	टाटा सूमो गोल्ड	2013
16	CG-03 2994	महिन्द्रा बोलेरो	2008
17	CG-03 4179	महिन्द्रा बोलेरो	2012
18	CG-03 1227	टाटा 52 सीटर बस	2001
19	CG-03 2953	टाटा 207 वज्र	2008

20	CG-03 3177	टाटा 207 वज्र	2008
21	CG-03 2589	स्वराज माजदा (टेंकर)	2004
22	CG-03 4132	मारुति जिप्सी (किन्ग)	2011
23	CG-03 4133	मारुति जिप्सी (किन्ग)	2011
24	CG-03 4098	मारुति जिप्सी	2011
25	CG-03 3194	महिन्द्रा आर.आई.व्ही.	2008
26	CG-03 2209	हीरो होण्डा मोटर सायकल	2004
27	CG-03 2208	हीरो होण्डा मोटर सायकल	2004
28	CG-03 2205	हीरो होण्डा मोटर सायकल	2004
29	CG-03 2210	हीरो होण्डा मोटर सायकल	2004
30	CG-03 2218	हीरो होण्डा मोटर सायकल	2004
31	CG-03 2222	हीरो होण्डा मोटर सायकल	2004
32	CG-03 2275	बजाज मोटर सायकल	2004
33	CG-03 3213	टाटा स्पेशियो	2008
34	CG-03 4571	टाटा सूमो गोल्ड	2012
35	CG-03 4830	टाटा सूमो गोल्ड	2013
36	CG-03 4832	टाटा सूमो गोल्ड	2013
37	CG-03 4754	टाटा सूमो विक्टा	2013
38	CG-30 4835	टाटा सूमो गोल्ड	2013
39	CG-03 4891	टाटा सूमो गोल्ड	2013
40	CG-03 2265	बजाज मो.सायकल	2004
41	CG-03 2168	क्वालिस	2004
42	CG-03 4677	टाटा सूमों	2012
43	CG-03 0663	टाटा ट्रक	1998
44	CG-03 1211	स्वराज माजदा मिनी बस	2001
45	CG-03 3153	यामहा मो.सायकल	2008
46	CG-03 0714	मारुती जिप्सी	1998
47	CG-03 3525	महिन्द्रा जीप	2009
48	CG-03 4707	टाटा सूमों	2013
49	CG-03 0789	स्वराज माजदा जेल वाहन	2000

50	CG-03 3422	महिन्द्रा जीप	2009
51	CG-03 4205	टाटा सूमों विक्टा	2012
52	CG-03 4460	महिन्द्रा बोलेरो	2012
53	CG-03 4467	टाटा सूमों विक्टा	2012
54	CG-03 3025	महिन्द्रा जीप	2008
55	CG-03 3425	महिन्द्रा जीप	2009
56	CG-03 3527	महिन्द्रा जीप	2009
57	CG-03 3337	टाटा 409 मिनी बस	2008
58	CG-03 1773	हीरो होण्डा मोटर सायकल	2004
59	CG-03 3250	हीरो होण्डा पैशन प्लस मो.सा.	2008
60	CG-03 3231	हीरो होण्डा पैशन प्लस मो.सा.	2008
61	CG-03 3596	हीरो होण्डा पैशन प्लस मो.सा.	2010
62	CG-03 2992	महिन्द्रा बोलेरो	2008
63	CG-03 2856	टाटा एम्बुलेंस	2007
64	CG-03 0782	टाटा ट्रक	2007
65	CG-03 1779	हीरो होण्डा मोटर सायकल	2004
66	CG-03 3075	यामहा मो.सायकल	2008
67	CG-03 1831	महिन्द्रा मैक्स	2004
68	CG-03 1834	महिन्द्रा बोलेरो	2004

**// निविदा की शर्तें //**

01. उक्त वाहनों को पुलिस लाईन रायपुर (छत्तीसगढ़) एम0टी0 शाखा में अवलोकन किया जा सकता है। (समय 10:00 बजे से 17:00 बजे तक, नीलामी तिथि के 10 दिन पूर्व से)
02. प्रत्येक बोलीकर्ता ऊपर दर्शायी गई अमानत राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो पुलिस अधीक्षक, रायपुर के नाम से देय होगा, को दिनांक 28.01.2019 को शाम 05:00 बजे तक रक्षित निरीक्षक, पुलिस लाईन, रायपुर के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। बाद में स्वीकार नहीं किया जावेगा।
03. प्रत्येक बोलीकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष दिनांक 04.02.2019 के 10:00 बजे से पुलिस लाईन रायपुर (छत्तीसगढ़) में नीलामी की जावेगी।
04. बोली स्वीकार होने पर उच्चतम बोली के 10 प्रतिशत राशि, अमानत राशि के अलावा उसी समय जमा करना अनिवार्य है। उक्त राशि जमा नहीं करने पर उनकी पूर्व में जमा की गई अमानत राशि राजसात की जावेगी एवं उक्त वाहन को उसके दूसरे बोलीदार को दी जावेगी। शेष राशि रक्षित निरीक्षक पुलिस लाईन, रायपुर के कार्यालय में 15 दिवस के अंदर बैंक ड्राफ्ट के

माध्यम से जमा कर वाहन ले जाना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर उनके द्वारा जमा की गयी पूर्ण राशि राजसात की जावेगी ।

05. अस्वीकृत बोलीकर्ता की अमानत राशि को नीलामी दिनांक के 03 दिन पश्चात् रिलीज किया जा सकेगा ।
06. प्रत्येक वाहन के लिए पृथक-पृथक अमानत राशि जमा करना अनिवार्य होगा। लिफाफे के ऊपर वाहन क्रमांक अंकित करना अनिवार्य है।
07. अधोहस्ताक्षरकर्ता को बिना कोई कारण बताये किसी भी या सभी बोली को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा ।
08. वाहन खरीदने वाले की जिम्मेदारी होगी कि वाहन का रजिस्ट्रेशन अपने नाम पर स्थानांतरण करवायेंगे ।
09. बोलीकर्ता को अमानत की राशि के साथ-साथ अपना पूरा नाम, पता, दूरभाष नम्बर एवं मोबाईल नंबर सहित साफ-साफ लिखना अनिवार्य है ।

(डॉ. आनंद छाबड़ा)  
पुलिस महानिरीक्षक,  
रायपुर रेंज, रायपुर